

FORM NO-III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर  
शंकरलाल शर्मा बनाम राजस्थान सरकार

14/5/24

किस्म मुकदमा:-अपील धारा 75 अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम 1956 जीसीएमएस संख्या 2024 / 155

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
14.05.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अपीलांट द्वारा अपील सहबन से न्यायालय हाजा में गलत पेश होने का निवेदन किया। पत्रावली पर मनन करने पर उपरोक्त उनवानी अपील जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा ले-आउट प्लान के निर्णय दिनांक 22.02.2024 के विरुद्ध पेश की गई है। उक्त आदेश के विरुद्ध अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण अपील वापिस सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लोटाया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अतः आदेश है कि अपील अपीलांट को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस लोटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p>(डॉ. आरुषी मलिक) संभागीय आयुक्त, जयपुर।</p>	<p>मूल अपील मय दा-वावेत के फाफ लिखे शंकरलाल शर्मा 31/5/24</p>